

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2, जल पथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक: No. F25(50)ICDS/Computer/Rajposhan/2015/ 97561-864 दिनांक: 31/05/2018


बाल विकास परियोजना अधिकारी  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
समस्त ।

विषय:- राजपोषण सॉफ्टवेयर से सामूहिक बचत एवं बीमा योजना (GSLI) की कटौति नहीं करने बाबत।

प्रसंग:- निदेशालय के पत्रांक एफ.2(1)( )मबाबि/आ.क.को./2018-19/66173 दिनांक 24.04.2018 के क्रम में।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में मानदेय कर्मियों के मानदेय से सामूहिक बचत एवं बीमा योजना (GSLI) की कटौति राशि अब मा. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या-71 के अनुसार शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि मानदेय कर्मियों के मानदेय से सामूहिक बचत एवं बीमा योजना (GSLI) की अंशदान के रूप में की जाने वाली कटौति राजपोषण सॉफ्टवेयर से नहीं की जावे।

  
(बिन्दु करुणाकर)  
अतिरिक्त निदेशक (II)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: F.25(50)ICDS/Computer/Rajposhan/2015/ 97865-898 जयपुर, दिनांक : 31/05/2018  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
2. समस्त जिला उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज., जयपुर।

  
एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ